जनपद में तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (एल.डब्ल्यू.एम.) के प्रचालन एवं रख–रखाव व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण।

तरल अपशिष्ट प्रबंधनः–तरल अपशिष्ट प्रबंधन इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में से एक घटक है। गांव को स्वच्छ बनाने के लिये यह आवश्यक है कि आई.ई.सी. सम्बन्धी गतिविधियों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि आबादी के बीच इन क्रियाकलापों के लिए महसूस की गई आवश्यकता पैदा की जा सके। इससे अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान के लिए तंत्र की स्थापना इस प्रकार होगी, जिसका आबादी पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। समुदाय/ग्राम पंचायत को आगे आने और ऐसे तंत्र की मांग करने के लिए प्रेरित करना होगा जिसका उन्हें बाद में परिचालन एवं अनुश्रवण करना है। ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाये जाने हेतु प्रत्येक परिवारों को एल.डब्ल्यू.एम. के कार्यो से जोड़ा जा रहा है, ग्राम पंचायतों को खुले में जल जमाव से मुक्त करते हुये ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ. प्लस के अन्तर्गत स्वच्छ बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 एल.डब्ल्यू.एम. योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में तरल अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सोक पिट, नाली निर्माण, व वेस्ट स्टेबेलाईजेशन पाण्ड सिल्ट केचर, फिल्टर चेम्बर का निर्माण कराया गया है।

ग्राम पंचायतों में तरल अपशिष्ट के निस्तारण हेतु तीन तालाब का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों में निकलने वाली गंदे पानी एवं वर्षा ऋतु के जल को नालियों के माध्यम से तीन तालाब तक पहुँचाया जा रहा है, जिसे पहले तालाब में एकत्रित किया जाता है, जहॉ पर गन्दगी निचे बैठ जाता है और पहला तालाब भरने के बाद पानी दूसरे तालाब में जाता है, दूसरे तालाब से पानी स्वच्छ होने के पश्चात तिसरे तालाब में जाता है, जिसे पशुओं के पीने एवं सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। तालाब में पानी एकत्रित करने से ग्राम पंचायत का जल स्तर भी बढ़ता है।

ग्राम पंचायतों में तरल अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जिन घरों को नालियों से नहीं जोड़ गया है वहॉ पर सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सोक पीट का निर्माण कराया जा रहा है जिससे घर से निकलने वाले गंदे पानी को खुले में फैलने से रोका जा रहा है और उसका उचित निस्तारण हेतु सोक पीट का निर्माण कार्य कराया गया है, जिससे ग्राम पंचायतों में गंदे पानी से होने वाली बिमारियॉ को फैलने से रोकने एवं मच्छरों को बढ़ने से रोकने में सहायता मिल रही है, जिसका रख–रखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है।